



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पत्रांक 751/वाहन निष्प्रयोज्य/2024

दिनांक 29.10.2024

निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी-सह-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय के वाहन सं०-यू०के०-०८जी०ए०-०२७२ (होण्डा सिटी) कार मॉडल २०१५ को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। वाहन जहाँ है जैसी स्थिति में है जिसकी नीलामी दिनांक २१.११.२०२४ को अपरान्ह १२.३० बजे विश्वविद्यालय में की जायेगी। विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.usvv.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(गिरीश कुमार अवस्थी) कुलसचिव

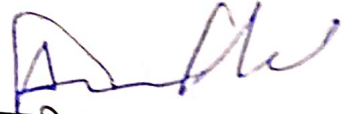
10

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के वाहन सं०-यू०के०-०८जी ०९०-०२७२ (होण्डा सीटी)
कार के निष्प्रयोज्य हेतु शर्तें।

नियम एवं शर्तें -

1. विश्वविद्यालय वाहन संख्या-यू०ए०-०८जी०-०२७२ होण्डा सिटी २०१५ (पेट्रोल कार) के निष्प्रयोज्य हेतु न्यूनतम धनराशि ₹०-१,८०,०००/- (एक लाख अस्सी हजार मात्र) है।
2. धरोहर धनराशि ₹०-१०,०००/- (डिमाण्ड ड्राफ्ट) द्वारा जमा करने हेतु प्रपत्र उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के लेखा अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.usvv.ac.in में भी उपलब्ध है।
3. वाहन का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में विश्वविद्यालय में आकर किया जा सकता है।
4. नीलामी उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक. २१.११.२०२४ को दोपहर १२.३० बजे से की जाएगी। जो भी बोली उच्चतम होगी उसी मूल्य पर वाहन नीलाम किया जायेगा।
5. असफल बोलीदाताओं को ₹०-१०,०००/- की जमानत धनराशि को वापस उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल निविदा दाता की धरोहर धनराशि ₹०-१०,०००/- निविदा की समस्त धनराशि जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।
6. सफल बोली दाता को उसके द्वारा लगाये गए मूल्य के अतिरिक्त सम्बन्धित टैक्स (जैसा लागू हो) भी नियमानुसार देना होगा तथा सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान-पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।
7. नीलामी में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम बोली लगाने वाले बोली दाता को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगी।
8. वाहन को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम नीलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
9. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा स्वीकार किये गये नीलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
10. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग में अपने खर्च पर वाहन को हस्तान्तरित कराना होगा।
11. अधिकतम बोलीदाता को अधिकतम बोली का १० प्रतिशत अग्रिम धनराशि (ई०एम०डी०) के रूप में उसी समय नकद जमा करना होगा तथा शेष धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विश्वविद्यालय में सात दिन के अन्दर जमा करना होगा।
12. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त (०७ दिन) के अन्तर्गत शेष धनराशि को जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि और अग्रिम धनराशि (ई०एम०डी०) को जब्त कर लिया जायेगा।
13. नीलाम वाहन को अधिकतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात २४ घन्टे के भीतर ले जाना होगा।
14. वाहन को जो विश्वविद्यालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।
15. नीलामी-सह-निविदा को निरस्त/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।
16. सफल बोली दाता द्वारा वाहन ले जाने की तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय के ऊपर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेगा।
17. सफल बोलीदाता १५ दिनों के अन्दर वाहन को अपने नाम पर पंजीकृत करायेगा तथा पंजीकरण के उपरान्त वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
18. विक्रय निविदा प्रपत्र शुल्क ₹०-१०००/- को लेखानुभाग में जमा करना आवश्यक होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर


कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के वाहन सं0-यू0के0-08जी0 ए0-0272
(होण्डा सीटी) कार के निष्प्रयोज्य हेतु विक्रय निविदा प्रपत्र ।

- वाहन संख्या—यू0के0-08जी 0ए0-0272 (होण्डा सीटी) (मॉडल-2015)
- व्यक्ति/फर्म का नाम :-.....
- पूरा पता :-
.....
.....
- मोबाईल/फोन नम्बर :-.....
- आधार कार्ड/पैन न0/वोटर आई0डी0 सं0-.....
- सुरक्षा धनराशि रु0-10,000/- (रु0-10,000/- रिफन्डेबल तथा रु0-1,000/- नॉन-रिफन्डेबल , फार्म शुल्क) को लेखानुभाग में जमा करने वाले के हस्ताक्षर :-
- जी0एस0टी0 न0(यदि लागू हो).....

स्थान:-

दिनांक :-

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर